MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2025

No. 03/2025-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 951(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Central Excise (Amendment) Act, 2025 (34 of 2025), the Central Government hereby appoints the 1st day of February, 2026, as the date on which the provisions of the said act, shall come into force.

[F. No. CBIC-190349/72/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2025

सं. 04/2025- केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 952(अ).— केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (जिसे आगे 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाता है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करती है:-

(i) अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची की टैरिफ मद 2403 99 10 के अंतर्गत चबाने वाला तंबाकू,

(ii) अधिनियम की टैरिफ मद 2403 99 30 के अंतर्गत जर्दा सुगंधित तंबाकू, और

(iii) अधिनियम की टैरिफ मद 2403 99 90 के अंतर्गत गुटखा।

जो पैकिंग मशीन की सहायता से निर्मित किए जाते हैं और पाउच में पैक किए जाते हैं, को अधिसूचित वस्तुओं के रूप में अधिसूचित किया जाता है, जिन पर उक्त धारा 3क के प्रावधानों के अनुसार उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा और संग्रहित किया जाएगा;

स्पष्टीकरण 1.- संदेह को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि टैरिफ मद 2403 99 10 के अंतर्गत आने वाली चबाने वाली तंबाकू में फिल्टर खैनी भी शामिल है;

स्पष्टीकरण 2.- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "पैकिंग मशीन" में सभी प्रकार की वर्टिकल फॉर्म फिल सील मशीनें और हॉरिजॉन्टल मशीनें शामिल हैं, चाहे वे किसी भी नाम से पुकारी जाएं, चाहे वे वर्टिकल हों या हॉरिजॉन्टल, सिंगल-ट्रैक या मल्टी-ट्रैक और अधिसूचित वस्तुओं के पाउच को पैक करने के लिए प्रयुक्त किसी अन्य प्रकार की पैकिंग मशीन।

यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2026 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190349/72/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव